उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या– /xxxi(15)/G-02(रा0मु0सू0आ0)/2016
देहरादून दिनांकः 08 नवम्बर,2016

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री शत्रुघ्न सिंह को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अनुरूप श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पॉच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी।

4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या–1342(1)/xxxi(15)/G-02(रा0मु0सू0आ0) /2016तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव,मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. श्री शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव,उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड़, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर ।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।